आदेश पर कार्रवाई क्रम टिप्पणी तारीख

4 फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 अरविन्द लाल रजक पिता स्व0 सीता राम रजक, निवास स्थान ग्राम–हुड़हुडु (शिव मंदिर के पास), थाना–सदर हजारीबाग, पोस्ट–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–हुड़हुडु, थाना नं0–147, खाता संख्या–47, प्लॉट संख्या–708, रकवा–0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सोनी देवी पति दीपक राम, निवास स्थान ग्राम–हुड़हुडु, थाना–सदर, पोस्ट–सदर, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-07/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 53/रा0 दिनांक 06.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 285 दिनांक 13.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत धनी तेली हैं। केवाला के अनुसार खरीदगी भूमि 04 डिसमिल है तथा खतियान में भूमि का कुल रकवा 11.76 एकड़ है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 04डी0 है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या-11/VIII पर अरविन्द लाल रजक के नाम से ऑनलाईन में जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021–22 तक निर्गत् है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदक की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 80 डिसमिल भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	
	अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।	
	उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में अरविन्द लाल रजक पिता स्व0 सीता राम रजक, निवास स्थान ग्राम-हुड्हुडु (शिव मंदिर के पास), थाना-सदर हजारीबाग, पोस्ट-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड्हुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-47, प्लॉट संख्या-708, रकबा-0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सोनी देवी पति दीपक राम, निवास स्थान ग्राम-हुड्हुडु, थाना-सदर, पोस्ट-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।	
	लेखापित एवं संशोधित (ह0) 13/4/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। (ह0) 13/4/23 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.04.15 16:13:58 +05:30
Location: 192.168.0.107